रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252378 CG-DL-E-26022024-252378

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 855] No. 855]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2024

का.आ. 895(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के उपरान्त, यह मानते हुए कि जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, केंद्र सरकार एतद्वारा ऑटोमोबिल व्हील रिम संघटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश-II, 2023 में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नांकित आदेश करती है, नामतः-

1. लघु शीर्ष और प्रारंभन-

- 1. इस आदेश को ऑटोमोबिल व्हील रिम संघटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा।
 - 2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख़ से प्रभावी होगा।
- 2. ऑटोमोबिल व्हील रिम संघटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश-II, दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के पैराग्राफ-2 के पैराग्राफ (3) के उप-पैराग्राफ (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

1307 GI/2024 (1)

ii. केंद्रीय मोटर यान नियमावली,1989 के नियम 126 के उपबंधों के अंतर्गत वाहन विनिर्माता द्वारा भारत में आयातित वाहनों में प्रयुक्त ऑटोमोबिल व्हील रिम

> [फा. सं. 12(67)/2019-AEI (20457)] डॉ. हनीफ़ क़ुरैशी, अपर सचिव

नोट: मूल आदेश भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 21 सितंबर, 2020 के सांविधिक आदेश 3227 (असाधारण) द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें संशोधन-1 को दिनांक 28 मई, 2021 के सांविधिक आदेश 2132 (असाधारण) के माध्यम से, संशोधन-2 को दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के सांविधिक आदेश 4493 (असाधारण) के माध्यम से, संशोधन-3 को दिनांक 8 जून, 2022 के सांविधिक आदेश 2634 (असाधारण) के माध्यम से, दिनांक 15 जून, 2023 के सांविधिक आदेश 2657 (असाधारण) के माध्यम से और अंतिम बार दिनांक 19.12.2023 को सांविधिक आदेश 5379 (असाधारण) के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 26th February, 2024

S.O. 895(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16, read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Amendment Order-II, 2023, namely:-

1. Short title and commencement. -

- This Order may be called the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Amendment Order, 2024.
- 2. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Amendment Order-II, 2023 dated 19th December 2023, in paragraph 2, sub-paragraphs (ii) of Paragraph (3) shall be substituted as follows:
 - ii. Automobile wheel rims used in the vehicles imported in India by vehicle manufacturer under the provisions of Rule 126 of Central Motor Vehicle rules, 1989.

[F. No. 12(67)/2019-AEI (20457)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide number S.O.3227(E), dated the 21st September, 2020, Amended-1 vide notification number S.O. 2132(E), dated: 28th May, 2021, Amended-2 vide notification number S.O. 4493(E), dated: 22nd October, 2021, Amended-3 vide S.O. 2634(E), dated: 8th June, 2022, amended vide S.O. 2657(E), dated: 15th June, 2023 and lastly amended vide S.O. 5379(E), dated: 19.12.2023.